सं. ए.12018/2/2020-डीआरएस(भाग-1)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 14 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय आरडीटीएस, गुवाहटी, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद के भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव की जाँचकर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमो का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले,इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया drugsdiv-mohfw@gov.in. पर भेजी जाएं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहातो)

अवर सचिव,भारत सरकार,

दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	4	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग ' अराजपत्रित, अनतुसचिवीय	लेवल 5	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रीम के लिए- रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायनिकविज्ञान अथवा फार्मेसी अथवा भेषजीय रसायन अथवा फॅार्माकोलोजी में विधि द्ववारा भारत में स्थापित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रीम के लिए- मेडिसिन अथवा माइक्रोबायलोजी अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा बायोटेक्नोलोजी में भारत में विधि द्ववारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अनुभव औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 18 महीनों का	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष

अनुभव नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है। नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।			
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[फा.सं. ए.12018/04/2020-डीआरएस (भाग-1)]

(बिकाश आर माहातो)
अवर सचिव, भारत सरकार